

संकल्प


**विषय:-**जहानाबाद जिलान्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शकुराबाद का उत्क्रमण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में करते हुए उसका नामाकरण "रामाश्रय प्रसाद सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शकुराबाद" करने की स्वीकृति ।

समय-समय पर सरकार द्वारा की गई घोषणाओं, जनभावनाओं एवं महाविभुतियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए जहानाबाद जिलान्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शकुराबाद का उत्क्रमण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में करते हुए उसका नामाकरण "रामाश्रय प्रसाद सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शकुराबाद" करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान की है ।

2. नामाकरण के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 13.01.2015 में मद् संख्या-09 के द्वारा प्राप्त है ।

3. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा ।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

  
(शेखर चन्द्र वर्मा)  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक:-10/विविध-15-45/2013 (पार्ट) 1102 (10) /स्वा0,पटना दिनांक- 28.01.15

**प्रतिलिपि-** अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 500(पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दें ।

**प्रतिलिपि-** मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि-** महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


**प्रतिलिपि-** सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ सभी राज्य प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि-** सभी कोषागार पदाधिकारी,/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि-** सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित अधीक्षक, सदर अस्पताल/सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि-** प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1,2,3,7,10 एवं कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त 5 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

**प्रतिलिपि-** माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के संयुक्त सचिव ।